पत्रांक- 517/05-03-2022

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–25.02.2022 को बन्दोबस्त पदाधिकारियों के साथ की गई विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति– यथा संधारित।

दिनांक–25.02.2022 को भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के प्रशिक्षण कक्ष में निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में राज्य के 20 जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा बन्दोबस्त पदाधिकारियों एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों (मु0) के साथ की गई। बैठक में पूर्व निर्धारित एजेंडों यथा प्रक्रमवार कार्यो की समीक्षा तथा निदेशालय स्तर से दिए गए निदेश के अनुपालन में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के आवासीय पता की जाँच, याद्दाश्त पंजी में बकाश्त भूमि का संधारण, कर्मियों के स्थापना एवं आवंटन से संबंधित विषय इत्यादि की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर समीक्षोपरांत दिए गए निदेश एवं निर्णय निम्नवत् हैः–

1: **<u>विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में अंतिम रूप से प्रकाशित होने वाले मानचित्रों में टेम्पलेट एवं लिजेंड का प्रदर्शन</u>**:– बैठक में उपस्थित सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों के समक्ष निदेशालय स्तर पर विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में अंतिम रूप से प्रकाशित होने वाले मानचित्रों में टेम्पलेट एवं लिजेंड के निर्धारण के लिए निदेशालय के निदेश पर हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा तैयार किए प्रपत्र–20 के साथ प्रकाशित होने वाले एक गांव के मानचित्र का प्रदर्शन किया गया। साथ ही बैठक में उपस्थित बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना के ट्रावर्स, प्रारूपक तथा चकबन्दी निदेशालय के अमीनों के समक्ष भी इसे प्रदर्शित किया गया। अवलोकन उपरान्त अंतिम मानचित्र में त्रिसिमाना पर किए गए मोन्यूमेंटेशन के कोऑर्डिनेट, जिसे वर्त्तमान में दिए गए प्रस्ताव के अनुसार एजेंसियों द्वारा संधारित किया जाना है, को मानचित्र में प्रदर्शित नहीं किए जाने पर निर्णय लिया गया। त्रिसिमानों के मोन्यूमेंट संबंधी कोर्डिनेट की सूची को एजेंसी द्वारा GCN Software पर अपलोड कर बन्दोबस्त कार्यालयों को उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में जी0आई0एस0 कोर्डिनेटर द्वारा भी प्रतिवेदित किया गया कि अन्य राज्यों द्वारा अंतिम रूप से प्रकाशित मानचित्रों में कोर्डिनेट का प्रदर्शन नहीं किया जाता है।

निदेश दिया गया कि अंतिम रूप से निर्धारित टेम्पलेट और लिजेंड के साथ तैयार किए गए मानचित्र की सॉफ्ट प्रति अनुमोदन के साथ सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दिया जाए ताकि जिन ग्रामों का प्रपत्र–20 में अंतिम अधिकार अभिलेख तैयार किया जा चुका है, उनका मानचित्र तैयार कर प्रकाशित किया जा सके।

2. **<u>विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के आवासीय पते का सत्यापन</u>** :– बैठक में निदेशालय के पत्रांक–146 दिनांक–20.01.2022 के अनुपालन में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के आवासीय पता के भौतिक सत्यापन कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि केवल 09 जिलों द्वारा सभी कर्मियों के स्थानीय पता के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जबकि शेष जिलों द्वारा केवल संख्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि जिलों में कार्यरत सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के मोबाईल नं0 एवं स्थानीय आवासीय पता संधारित किया गया है।

निदेश दिया गया कि सभी जिलों द्वारा उनके यहाँ कार्यरत सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का पूरा पता एवं मोबाईल की सॉफ्ट एवं मुद्रित प्रति अविलंब निदेशालय को उपलब्ध करा दी जाए। आई0टी0 सेल को निदेश दिया गया कि बिहार सर्वे ट्रेकर में पूर्व से संधारित सभी विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण कानूनगों एवं विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के मोबाईल नं0 के साथ उनका आवासीय भी संधारित कर दिया जाए। बन्दोबस्त पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि यदि किसी कर्मी का आवासीय पता गलत पाया जाता है अथवा कोई कर्मी अपने कार्य क्षेत्र अन्तर्गत निवास नहीं करता है तो उसके विरूद्ध अविलंब कार्रवाई की अनुशंसा निदेशालय को उपलब्ध कराई जाए।

3. <u>विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत याद्दाश्त पंजी में बकाश्त भूमि का संधारण</u> :– बैठक में निदेशालय के पत्रांक–34 दिनांक–05.01.2022 के अनुपालन में बकाश्त भूमि की प्रविष्टियों से संबंधित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बकाश्त भूमि से संबंधित मामलों में याद्दाश्त पंजी में दो तरीके प्रविष्टि की गई है, जो निम्न प्रकार है:–

(i) जिन बकाश्त भूमि पर रैयतों का शांतिपूर्ण दखल लगभग 20 वर्षों से अधिक का है और उनकी जमाबंदी कायम है तथा रैयतों की यह भूमि मध्यवर्त्ती अथवा उनके वंशजों से रैयतों को प्राप्त है, उनकी प्रविष्टि याद्दाश्त पंजी में रैयतों के नाम पर की गई है।

(ii) जिन रैयतों द्वारा बकाश्त भूमि से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, उसका खाता बिहार सरकार के नाम से संधारित किया गया है।

बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा यह भी बताया गया कि जिस बकाश्त भूमि की जमाबंदी रैयतों के नाम से काफी समय पूर्व से चल रही है, उनके संबंध में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के स्तर से किए गए लगान निर्धारण का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं अनेक ऐसे ग्राम हैं, जहाँ 70 से 80 प्रतिशत भूमि बकाश्त प्रकृति की है और रैयतों का शांतिपूर्ण दखल है किंतु उनके पास किसी तरह का साक्ष्य नहीं है। बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा अनुरोध किया गया कि बकाश्त भूमि से संबंधित समस्याओं की भिन्न–भिन्न प्रकार की प्रकृति को देखते हुए इस संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शन की आवश्यकता है।

निदेश दिया गया कि जिन अंचलों में बकाश्त भूमि की प्रविष्टि याद्दाश्त पंजी में की गई है, उनकी सघन जाँच बन्दोबस्त पदाधिकारी के स्तर से की जाए एवं बकाश्त भूमि के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्गत पत्रों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाए।

बैठक को संबोधित करते हुए अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को निम्नांकित निदेश दिए गए:–

(i) विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य में गति के साथ गुणवत्ता बनाए रखने के सर्वप्रथम सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों पर प्रभावशाली नियंत्रण एवं उनके कार्यों का गहन अनुश्रवण किया जाना आवश्यक है। राज्य स्तर पर क्षेत्रीय कर्मियों के संबंध में अनियमितताओं संबंधी शिकायतों को देखते हुए शिविरवार गहन मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है।

(ii) सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के स्थानीय आवासीय पता एवं मोबाईल नं0 को ऑनलाईन संधारित कर प्रत्येक स्तर से इसे देखने की सुविधा प्रदत्त की जाए ताकि आवश्यकतानुसार किसी भी स्तर से इसका सत्यापन कराया जा सके।

(iii) निदेशालय स्तर से तैयार किए गए **CVMS (Camp Visit Monitoring System)** को प्रभावशाली तरीके से लागू करने के लिए माहवार कैलेन्डर बनाना सुनिश्चित किया जाए एवं जिन कर्मियों का आउटपुट शुन्य पाया जाए, उन्हें अविलंब दूसरे कार्यों के साथ संबंद्ध किया जाए एवं जिन कर्मियों द्वारा आदेशों की अवहेलना की जाए अथवा कार्यों का लक्ष्यवार निष्पादन नहीं किया जाए, उनके विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा तुरंत निदेशालय को उपलब्ध कराई जाए।

(iv) विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर यथा विशेष सर्वेक्षण अमीन, लिपिक, कानूनगो एवं स0ब0पदा0 को बन्दोबस्त पदाधिकारी के आदेश से ही किसी भी का तरह अवकाश स्वीकृत की जाए।

(v) किस्तवार और खानापुरी प्रक्रिया में विशेष सर्वेक्षण अमीनों के लक्ष्य का निर्धारण किया जाए एवं एक दिन में कम–से–कम 250 खेसरा तथा खानापुरी के लिए 50 खेसरा का लक्ष्य निर्धारित किया जाए।

(vi) **MIS** प्रतिवेदन के अनुसार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले कर्मियों की बैठक अलग से करते हुए व्यक्तिवार समीक्षा की जाए।

4. <u>प्रथम चरण अन्तर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा</u> :– विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य की प्रगति की समीक्षा के क्रम में प्रथम चरण अन्तर्गत चयनित अंचलों में दिसंबर–2021, जनवरी–2022 एवं फरवरी–2022 के तृतीय सप्ताह के MIS प्रतिवेदन का तुलनात्मक प्रगति प्रतिवेदन निम्नवत् पाया गया:–

COMPARATIVE REPORT OF DECEMBER, JANUARY & FEBRUARY PHASE-1

SL.NO.	District	Tri-Junction Validation			Boundary Verification			Boundary Updated Map's Supply			Kishtwaar (Mauza)			Khanapuri (Mauza)			Form-6 Entry in Software (Completed Mauza)			LPM & Form-7 Distribution (Mauza)		
		Dec. 3rd week	Jan. 3rd week	Feb. 3rd week	Dec. 3rd week	Jan. 3rd week	Feb. 3rd week	Dec. 3rd week	Jan. 3rd week	Feb. 3rd week	Dec. 3rd week	Jan. 3rd week	Feb. 3rd week	Dec. 3rd week	Jan. 3rd week	Feb. 3rd week	Dec. 3rd week	Jan. 3rd week	Feb. 3rd week	Dec. 3rd week	Jan. 3rd week	Feb. 3rd week
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ARARIA (156)	454	488	673	39	51	79	34	30	50	1	5	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ARWAL(316)	306	356	436	46	61	90	13	25	27	5	11	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BANKA (310)	563	812	839	134	285	299	16	47	145	6	44	59	0	4	9	0	0	0	0	0	0
4	BEGUSARAI (440)	900	1037	1096	173	235	253	149	174	185	101	143	149	51	74	81	36	56	59	46	53	57
5	JAMUI (155)	373	373	373	142	149	150	91	130	150	22	36	49	3	4	8	3	3	3	0	0	2
6	JEHANABAD (253)	427	507	533	94	130	157	29	20	36	5	13	23	0	1	1	0	0	1	0	0	0
7	KATIHAR (185)	262	440	444	80	173	173	48	107	88	17	38	62	0	0	9	0	0	0	0	0	0
8	KHAGARIA (163)	197	219	299	13	33	61	7	14	27	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	KISHANGANJ (459)	400	579	768	32	90	154	8	19	36	2	7	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	LAKHISARAI (412)	523	637	704	142	189	223	97	115	122	68	85	94	32	36	38	30	34	34	26	30	30
11	MADHEPURA (115)	267	342	342	89	115	116	46	78	84	6	22	35	0	1	3	0	1	1	0	0	1
12	MUNGER (324)	772	772	717	323	323	300	322	322	299	178	218	231	73	101	99	32	58	58	22	33	54
13	NALANDA (415)	1034	998	987	352	410	413	340	397	403	108	150	185	10	19	22	11	17	22	6	11	12
14	PURNIA (110)	141	205	205	42	94	95	26	56	76	6	25	27	0	1	1	0	0	0	0	0	0
15	SAHARSA (130)	431	438	361	130	130	130	83	113	130	1	9	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	SHEIKHPURA (314)	681	1071	994	200	313	311	161	311	304	78	106	166	17	33	66	14	27	57	19	30	51
17	SHEOHAR (60)	228	248	249	29	51	79	22	48	79	2	8	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0
18	SITAMARHI (254)	377	550	595	59	110	159	23	44	87	1	11	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	SUPAUL (251)	523	605	686	183	233	256	93	179	231	41	61	105	27	27	29	11	13	14	11	11	11
20	W. CHAMPARAN (290)	738	738	738	290	290	290	290	290	290	97	135	180	4	15	25	2	2	7	1	2	5
	Total:-	9597	11415	12039	2592	3465	3788	1898	2519	2849	746	1132	1466	217	316	392	139	211	256	131	170	223

प्रथम चरण अन्तर्गत चल रहे कार्यों के तुलनात्मक प्रतिवेदन के आलोक में प्रक्रमवार कार्यों की समीक्षा की गई एवं निदेश दिए गए जो निम्नवत है:–

(i) **त्रिसिमाना एवं ग्राम सीमा सत्यापन** :– प्रतिवेदन में पाया गया कि सभी जिलों द्वारा त्रिसिमाना सत्यापन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जबकि मुंगेर, शेखपुरा, सुपौल, मधेपुरा, बांका एवं नालंदा द्वारा ग्राम सीमा सत्यापन का कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है। नालंदा के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि एक ग्राम में अभी तक जल–जमाव रहने के कारण ग्राम सीमा सत्यापन नहीं किया जा सका है। शेखपुरा द्वारा बताया गया कि एक ग्राम की सीमा नवादा के साथ संलग्न होने के कारण कार्य अवरूद्ध हुआ है। अररिया, बांका, किशनगंज, पूर्णियाँ द्वारा बताया गया कि कुछ ग्रामों की सीमा दूसरे राज्य यथा झारखण्ड एवं पश्चिम बंगाल के साथ संबंद्ध है, जबकि कुछ ग्राम की सीमा नेपाल के साथ अंतराष्ट्रीय सीमा रेखा से सम्बद्ध है। अर्न्तराज्यीय एवं अंतराष्ट्रीय सीमाओं पर अवस्थित ग्रामों में ग्राम सीमा का कार्य करने के लिए निदेशालय स्तर से कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है, जबकि अर्न्तजिला सीमा में वैसे जिले जहाँ विशेष सर्वेक्षण का कार्य नहीं चल रहा है, वहाँ के समाहर्त्ता को निदेशालय स्तर से आवश्यक सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया जा सकता है। पूर्णियाँ एवं कुछ अन्य जिलों द्वारा बताया गया कि उनके जिलों में जिन ग्रामों का HRSI तकनीक से मानचित्र तैयार किया जाना है, उनकी सीमा सत्यापन का कार्य नहीं हो पाया है।

निदेश दिया गया कि ऐसे किसी भी ग्राम की सीमा का जल–जमाव के कारण सीमा सत्यापन में बाधा आ रही है, की सीमा सत्यापन के लिए तकनीकी मार्गदर्शिका में इसके लिए दिए गए मार्गदर्शन के अनुकूल ग्राम सीमा के सत्यापन का कार्य पूर्ण किया जाए। जिन ग्रामों की सीमा दूसरे जिला के साथ संबंद्ध है, वहाँ के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर अविलंब कार्य पूरा किया जाए। अंतराष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित ग्रामों के सीमा सत्यापन संबंधी कठिनाईयों को दूर करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया को पूरा विवरण उपलब्ध कराते हुए सहयोग देने का अनुरोध किया जाए। अंतराष्ट्रीय सीमा के संबंध में जिलावार विस्तृत विवरण (जिला, अंचल, ग्राम का नाम एवं थाना नं0) तथा उसकी सीमा दूसरे राज्य के किस जिला के साथ संबंद्ध है, के साथ निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए ताकि इस संबंध में राज्य स्तर से अनुरोध किया जा सके। किसी भी परिस्थिति में 31 मार्च–2022 के पूर्व ग्राम सीमा सत्यापन का कार्य समाप्त करना सुनिश्चित किया जाए। आई0टी0 सेल को निदेशित किया गया कि MIS प्रतिवेदन से त्रिसिमाना सत्यापन की प्रविष्टि को हटा दिया जाए। हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, IIC को निदेश दिया गया कि जिन ग्रामों का मानचित्र HRSI तकनीक से निर्मित किया जाना है, उनका मानचित्र यथाशीघ्र तैयार कर बन्दोबस्त कार्यालयों को समर्पित किया जाए।

(ii) **किस्तवार एवं खानापुरी की समीक्षा** :– बैठक में किस्तवार एवं खानापुरी के समीक्षात्मक प्रतिवेदन के साथ–साथ Bihar Survey Tracker एप में प्रदर्शित प्रतिवेदन के आलोक में समीक्षा की गई। पाया गया कि अनेक ग्रामों में ग्राम सीमा सत्यापन पूर्ण होने की लम्बी अवधि पश्चात् भी किस्तवार एवं खानापुरी का काम पूरा नहीं किया जा सका है।

समीक्षा के क्रम में यह भी स्पष्ट हुआ कि अनेक अमीनों द्वारा प्रत्येक प्लॉट की अनावश्यक रूप से नापी की जा रही है। बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि किस्तवार की प्रक्रिया में भू–खण्डों के सत्यापन के लिए हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा विशेष सर्वेक्षण मानचित्र का खेसरावार रकबा (Plotwise Area Statement) मानचित्र के साथ ही उपलब्ध कराया जाता है, ऐसी परिस्थिति में नापी की प्रक्रिया में अधिक समय लगाया जाना यथोचित प्रतीत नहीं होता है। उल्लेखनीय है कि किस्तवार के पश्चात् खानापुरी एवं सुनवाई की प्रक्रिया में भी प्राप्त आपत्ति एवं आदेश के आलोक में मानचित्र में सुधार किया जाता है। ऐसी स्थिति में किस्तवार के काम को यथाशीघ्र निष्पादित किया जाना आवश्यक है। शेखपुरा के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिन ग्रामों में खेसरों की संख्या 10000 से ज्यादा है, उनके किस्तवार का काम मार्च–2022 के बाद ही पूर्ण हो पायेगा। मुंगेर एवं नालंदा के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मार्च–2022 माह में किस्तवार का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। समीक्षा में पाया गया कि किस्तवार पूर्ण ग्रामों में खानापुरी कार्य संपन्न किए जाने की गति अत्यंत धीमी है एवं मात्र 07 जिलों यथा बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, शेखपुरा, सुपौल एवं पश्चिमी चम्पारण द्वारा 10 से अधिक ग्रामों में खानापुरी का कार्य पूर्ण किया गया है।

निदेश दिया गया कि जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों द्वारा Bihar Survey Tracker एप को अनिवार्य रूप से अपने मोबाईल में अपलोड किया जाए एवं प्रतिदिन इसका अवलोकन कर विशेष सर्वेक्षण प्रत्येक प्रक्रम के कार्य की समीक्षा लंबित दिनों के आलोक में की जाए ताकि यह सुस्पष्ट हो सके कि कौन से किस प्रक्रम का कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो रहा है। किसी भी परिस्थिति में किस्तवार संबंधित क्षेत्रीय कार्य को मार्च–2022 में पूर्ण कर लिया जाए। जिन जिलों में एक भी ग्राम के खानापुरी पूर्ण नहीं की गई है, वहां के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा अपने स्तर से कारण स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन देंगे।

(iii) <u>प्रपत्र–6, L.P.M वितरण एवं प्रारूप प्रकाशन की समीक्षा</u> :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि फरवरी तृतीय सप्ताह तक खानापुरी पूर्ण राजस्व ग्रामों की संख्या–392 है। जबकि सॉफ्टवेयर में प्रपत्र–6 अपलोड किए जाने वाले ग्राम 256 है एवं 223 ग्रामों में ही L.P.M वितरण किया गया है।

प्रतिवेदित किया गया कि प्रपत्र–6 की प्रविष्टि करने में अनेक प्रकार की तकनीकी समस्याएं आ रही है, इसके अतिरिक्त भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर अंतर्गत अन्य प्रक्रमों में भी कुछ समस्याएं आ रही है, जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है। बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा यह भी अनुरोध किया गया कि अमीन डायरी का ऑनलाईन संधारण ग्रामवार नहीं करके अमीनवार किया जाए। साथ ही R2R सॉफ्टवेयर को MIS के साथ टैगिंग करने की व्यवस्था की जाए। समीक्षा में यह भी पाया गया कि अनेक जिलों में विगत दो महीनों में प्रपत्र–6 में प्रविष्टि नगण्य है।

विमर्शोपरांत निर्णय लिया गया कि प्रपत्र–6 के साथ–साथ भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में की जाने वाली प्रविष्टियों एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए दिनांक–02.03.2022 से 03.03.2022 को प्रत्येक जिले के तीन योग्य विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को निदेशालय स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाए। निदेश दिया गया कि सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी अपने जिले से किन्हीं तीन ऐसे योग्य सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/कानूनगो/अमीन को प्रशिक्षण के लिए नामित करेंगे। जिनके द्वारा निदेशालय स्तर पद प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर का कार्य किया जा सके। यह भी निदेश दिया गया कि जहाँ भी प्रपत्र–6 की इंट्री का कार्य अपूर्ण है। वहाँ समय के साथ लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्य को पूर्ण किया जाए।

5. <u>द्वितीय चरण में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा</u> :– विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य की प्रगति की समीक्षा के क्रम में द्वितीय चरण अंतर्गत दिसंबर–2021, जनवरी–2022 एवं फरवरी–2022 के तृतीय सप्ताह के MIS प्रतिवेदन का तुलनात्मक प्रगति प्रतिवेदन निम्नवत् पाया गया:–

COMPARATIVE REPORT OF SO & SSASO FEB.3rd WEEK PHASE-2

SL.NO.	District	Mauza	Village Tagging		Gram Sabha (As per Technical Guideline)		Form-1 Upload in Software		Form-2 &3(1) Upload in Software		Khatiyan Writing (Rule 9 (1) (Completed Mauza)		Form-5 Software Entry (Completed Mauza)	
			SO	SS ASO	SO	SS ASO	SO	SS ASO	SO	SS ASO	SO	SS ASO	SO	SS ASO
		1	2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ARARIA	575	575	575	293	301	496	482	20682	26178	222	197	191	215
2	BANKA	967	966	967	361	361	965	965	2151	2168	563	563	477	477
3	BEGUSARAI	600	591	586	247	243	591	555	0	0	262	275	281	246
4	JAMUI	237	237	237	237	171	237	194	1550	1271	158	156	146	133
5	JEHANABAD	331	331	331	331	331	331	331	17447	30323	310	313	310	222
6	KATIHAR	1362	0	1362	0	471	0	1356	0	3984	0	577	0	481
7	KHAGARIA	108	108	108	76	76	108	108	3531	3531	42	42	41	41
8	KISHANGANJ	311	310	311	310	310	310	310	621	743	283	283	283	233
9	LAKHISARAI	53	53	53	53	53	53	53	12779	12779	52	52	52	52
10	MADHEPURA	260	260	260	75	75	260	260	11895	10706	223	214	122	128
11	MUNGER	469	465	454	455	378	462	415	6488	6161	212	251	211	196
12	NALANDA	631	631	631	224	184	631	631	45	45	576	563	329	335
13	PURNIA	1190	1190	1190	19	19	1080	188	742	702	178	79	178	79
14	SAHARSA	345	343	343	343	343	343	343	3082	3175	23	25	23	94
15	SHEOHAR	116	116	116	116	116	116	116	37023	36889	116	116	116	116
16	SITAMARHI	591	0	534	0	520	0	512	0	10128	0	165	0	145
17	SUPAUL	297	0	297	0	0	0	248	0	0	0	200	0	188
18	W.CHAMPARAN	1178	1178	1178	280	561	1178	1048	10291	10533	329	333	303	300
	Total	9621	7354	9533	3420	4513	7161	8115	128327	159316	3549	4404	3063	3681

समीक्षा में पाया गया कि द्वितीय चरण के अधिकांश ग्रामों में जन–जागरूकता का कार्य संपन्न नहीं किया गया है, जबकि सभी ग्रामों में प्रपत्र–1 में उद्घोषणा प्रकाशित करने का भी कार्य नहीं किया गया है, जिसे अत्यंत अल्पावधि में ही किया जाना है। खतियान लेखन में खगड़िया एवं सहरसा की बहुत कम प्रगति पाई गई। खगड़िया के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अधिकांश ग्रामों का खतियान उपलब्ध नहीं होने के कारण उनका लेखन नहीं किया जा सका। जबकि सहरसा द्वारा बताया गया कि खतियान के अत्यंत क्षतिग्रस्त होने या अनुपलब्ध रहने के कारण प्रपत्र–5 संधारित नहीं किया जा सका है। अन्य बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि जिन ग्रामों का खतियान उपलब्ध नहीं है, उसी का लेखन नहीं किया जा सका है। निदेश दिया गया कि सभी बंदोबस्त पदाधिकारी यह प्रमाण पत्र दें कि उपलब्ध सभी खतियान से सम्बन्धित ग्रामों का तेरीज लेखन किया जा चुका है।

निदेशित किया गया कि द्वितीय चरण के सभी ग्रामों में उद्घोषणा का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जाए। अनुपलब्ध खतियान के संबंध में निदेशालय स्तर से निर्गत पत्रांक–1692 दिनांक–16.06.2021 के आलोक में समयबद्ध प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना था। उक्त पत्र के आलोक में अनुपलब्ध खतियान के संबंध में जो कार्रवाई की जानी है, उसे यथाशीघ्र पूर्ण कर अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जिन ग्रामों का प्रपत्र–5 तैयार किया जा चुका है, उनकी प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में यथाशीघ्र कर दी जाए।

6. <u>अन्यान्यः</u>– निदेशित किया गया कि बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा शिविरों को नियमित अनुश्रवण कर उसकी प्रविष्टि CVMS में करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जिला स्तर पर होने वाली शिविरों की समीक्षात्मक बैठक का एजेंडा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए। अमीन डायरी के ऑनलाईन संधारण की नियमित समीक्षा कर वैसे अमीनों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए, जिनके द्वारा अमीन डायरी का संधारण सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। इस क्रम में अररिया जिले के भरगामा अंचल के अमीन द्वारा संधारित अमीन डायरी को भी बैठक में प्रदर्शित किया गया, जिसमें अमीन द्वारा की गई प्रविष्टि पूर्णतया अस्पष्ट एवं गलत थी। बन्दोबस्त पदाधिकारियों को यह भी बताया गया कि कुछ सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा निदेशालय स्तर पर अनुपस्थित अमीनों की ऑनलाईन अनुपस्थिति एवं MIS इंट्री में सुधार का अनुरोध किया जाता है, जो गलत है।

निदेशित किया गया जिन संविदा कर्मियों के EPF खाते में कटौती की जा रही है, उनमें यह स्पष्ट कर लिया जाए कि कटौती की गई राशि EPF खाते में प्रदर्शित हो रही है अथवा नहीं। जिन संविदा कर्मियों को अवधि विस्तार अभी तक नहीं हुआ है, उनके संबंध में यथाशीघ्र प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। साथ ही जिनका अवधि विस्तार किया जा चुका है, उनके साथ एकरारनामा की कार्रवाई यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जाए।

कुछ बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि फर्जी कागजात पर नियुक्त जिन कर्मियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जानी है, उसमें जिन कर्मियों के पता में उनका थाना अंकित नहीं है, उनके बारे में थाना द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है, जबकि कुछ थाना द्वारा फर्जी कागजातों के सत्यापन संबंधी कागजातों की मांग की जा रही है।

अरवल एवं अररिया जिला के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ बेल्ट्रॉन के कम्प्यूटर ऑपरेटर नहीं रहने के कारण काफी कठिनाई हो रही है। इस संबंध में निदेशालय स्तर से कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया कि जिन विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के विरूद्ध उनके द्वारा कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। उनके विरूद्ध अभी कार्रवाई लंबित है। बैठक में उपस्थिति निदेशालय के प्रशाखा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस तरह के सभी मामलों का निष्पादन एक से दो दिनों के अंदर करना सुनिश्चित किया जाए।

मधेपुरा के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पंचायत चुनाव के क्रम में दो विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का वेतन जिला स्तर से रोक दिया गया था। साथ ही प्रत्येक सोमवार को जिला पदाधिकारी द्वारा सर्वे कार्यों की समीक्षा में व्यावहारिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में निदेशालय स्तर से समाहर्त्ता, मधुपरा को अनुरोध करने का आग्रह किया गया।

किशनगंज के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि चकबन्दी के तहत् विगत रिविजनल सर्वे के तीन प्लॉटों को दूसरे गांव में शामिल कर दिया गया है। यह भी बताया गया कि चकबन्दी में अंतिम खतियान एवं मानचित्र प्रकाशित होने के पश्चात् भी अपने–अपने चक पर कृषकों द्वारा नहीं जाने के कारण और कहीं–कहीं केवल कुछ कृषकों द्वारा अपने लाभ के हिसाब से चकबन्दी के अनुसार प्लॉट पर दखल लेने के कारण सर्वे कार्य में कठिनाई आ रही है और इस संबंध में मार्गदर्शन की आवश्यकता है। निदेश दिया गया कि इन परिस्थितियों के संबंध में बन्दोबस्त कार्यालयों से विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त कर उने चकबन्दी निदेशालय को अवगत कराया जाए एवं विर्मशोंपरांत मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019.....517.....पटना, दिनांकः 05-03-2022

प्रतिलिपिः– बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण, जमुई, मुंगेर, नालंदा, शिवहर, बांका, अरवल एवं शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019.....517.....पटना, दिनांकः 05-03-2022

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त / सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण, जमुई, मुंगेर, नालंदा, शिवहर, बांका, अरवल एवं शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019.....517.....पटना, दिनांकः 05-03-2022

प्रतिलिपिः– श्री अनिल कुमार सिंह, अनुदेशक, चकबन्दी निदेशालय / सहायक निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019.....517.....पटना, दिनांकः 05-03-2022

प्रतिलिपि :– जिलों से संबंधित तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019.....517.....पटना, दिनांकः 05-03-2022

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक / प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप / प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा / निदेशालय स्तर के सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी / प्रभारी, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019.....517.....पटना, दिनांकः 05-03-2022

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019.....517.....पटना, दिनांकः 05-03-2022

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप